भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3931
दिनांक 17 मार्च, 2026 / 26 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

†3931. श्री शंकर लालवानी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री दुलू महतो:
श्री काली चरण सिंह:
श्री तापिर गाव:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
डॉ, के. सुधाकर:
श्री बलभद्र माझी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना' के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आवंटन के लिए जनसंख्या, शहरीकरण और आपदा संवेदनशीलता को दिए गए महत्व (वेटेज) सहित अपनाए गए मानदंड क्या हैं और इस संबंध में किए गए प्रावधानों का ओडिशा और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3931 दिनांक 17.03.2026

(ख) यह योजना राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विशेष रूप से ओडिशा और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं की तैयारी और क्षमता निर्माण को किस प्रकार सुदृढ़ करेगी;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन घटक का लाभ उठाने के लिए राज्यों से अपेक्षित कानूनी, प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुमोदित और जारी की गई, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ओडिशा और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कानूनी तथा बुनियादी ढांचे के सुधारों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख राज्यों में दर्ज की गई आग की बड़ी घटनाओं और आपदाओं की संख्या कितनी है और जान-माल का अनुमानित नुकसान कितना है और क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि क्या जनशक्ति की कमी, पुराने उपकरणों और अग्निशमन केंद्रों की कमी ने इस तरह के जान-माल के नुकसान में योगदान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटित करने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं:

क्र. सं.	मानदंड	भार प्रतिशत
1	राज्य की जनसंख्या	50%
2	राज्य का क्षेत्रफल	25%
3	राज्य का शहरीकरण	25%

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3931 दिनांक 17.03.2026

राज्यवार निधि आवंटन, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, अनुलग्नक में संलग्न है। किसी विशेष लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) यह योजना राज्यों, ओडिशा सहित, में फायर स्टेशनों की विद्यमान कमियों राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ करने और क्षमता निर्माण तथा आधुनिक अग्निशमन एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता का प्रयास करती है। योजना के घटक निम्नलिखित हैं:

1. फायर सेवाओं का विस्तार (35%)

(i) नए फायर स्टेशनों की स्थापना

(ii) राज्य प्रशिक्षण केंद्र को सुदृढ़ करना एवं क्षमता निर्माण

2. फायर सेवाओं का आधुनिकीकरण (50%)

(i) आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता

(ii) राज्य मुख्यालय एवं शहरी फायर स्टेशनों को सुदृढ़ करना

3. राज्य-विशिष्ट मांगें (15%)

(ग) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन घटक का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित सुधारों में राज्यों की फायर सेवाओं के समग्र प्रशासन, आधारभूत संरचना तथा संचालन क्षमता को सुदृढ़ करना शामिल है।

(घ) अब तक राज्यवार स्वीकृत एवं जारी की गई निधियों का विवरण, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, अनुलग्नक में संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं में विधिक तथा आधारभूत संरचना संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। तथापि, इस घटक के अंतर्गत राज्यवार अथवा निर्वाचन क्षेत्रवार निधि आवंटित नहीं की गई है।

(ङ) केंद्र सरकार आग की घटनाओं तथा उनसे होने वाली जन-धन की हानि से संबंधित कोई आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं करती है। अग्निशमन सेवा राज्य का एक विषय है और इसे अनुच्छेद 243 (ब) के तहत भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना सुनिश्चित करें।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3931 दिनांक 17.03.2026

अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत स्वीकृत, प्रदान की गई केंद्रीय सहायता और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय	एनडीआरएफ के अंतर्गत पी एंड सीबी निधि विंडो से केंद्रीय वित्तीय सहायता	राज्यों का आनुपातिक हिस्सा	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	252.86	189.65	63.21	189.65
2	अरुणाचल प्रदेश	63.95	57.56	6.39	34.54
3	असम	107.47	96.74	10.73	29.02
4	बिहार	340.90	255.68	85.22	76.70
5	छत्तीसगढ	147.75	110.81	36.94	33.24
6	गोवा	42.16	31.50	10.66	31.50
7	गुजरात	339.18	254.13	85.05	76.24
8	हरियाणा	117.19	87.47	29.72	26.24
9	हिमाचल प्रदेश	65.33	58.80	6.53	41.16
10	झारखंड	147.97	110.98	36.99	77.69
11	कर्नाटक	329.90	247.43	82.47	74.23
12	केरल	162.25	121.07	41.18	36.32
13	मध्य प्रदेश	397.54	297.15	100.39	89.15
14	महाराष्ट्र	614.09	460.30	153.79	138.09
15	मणिपुर	45.00	40.50	4.50	40.50
16	मेघालय	44.37	39.94	4.43	11.98
17	मिजोरम	40.00	36.00	4.00	25.20
18	नागालैंड	40.05	36.05	4.00	36.05
19	ओडिशा	200.38	150.29	50.09	105.20
20	पंजाब	131.56	98.67	32.89	69.07
21	राजस्थान	388.94	291.71	97.23	87.51
22	सिक्किम	32.25	29.03	3.22	29.03
23	तमिलनाडु	373.27	279.95	93.32	195.97
24	तेलंगाना	190.14	142.61	47.53	99.83
25	त्रिपुरा	42.36	38.12	4.24	26.69
26	उत्तर प्रदेश	768.67	576.50	192.17	172.95
27	उत्तराखंड	78.89	71.00	7.89	21.30
28	पश्चिम बंगाल	376.76	282.57	94.19	84.77
